सावदा घेवड़ा, नई दिल्ली

पुनर्वास की भयावहता

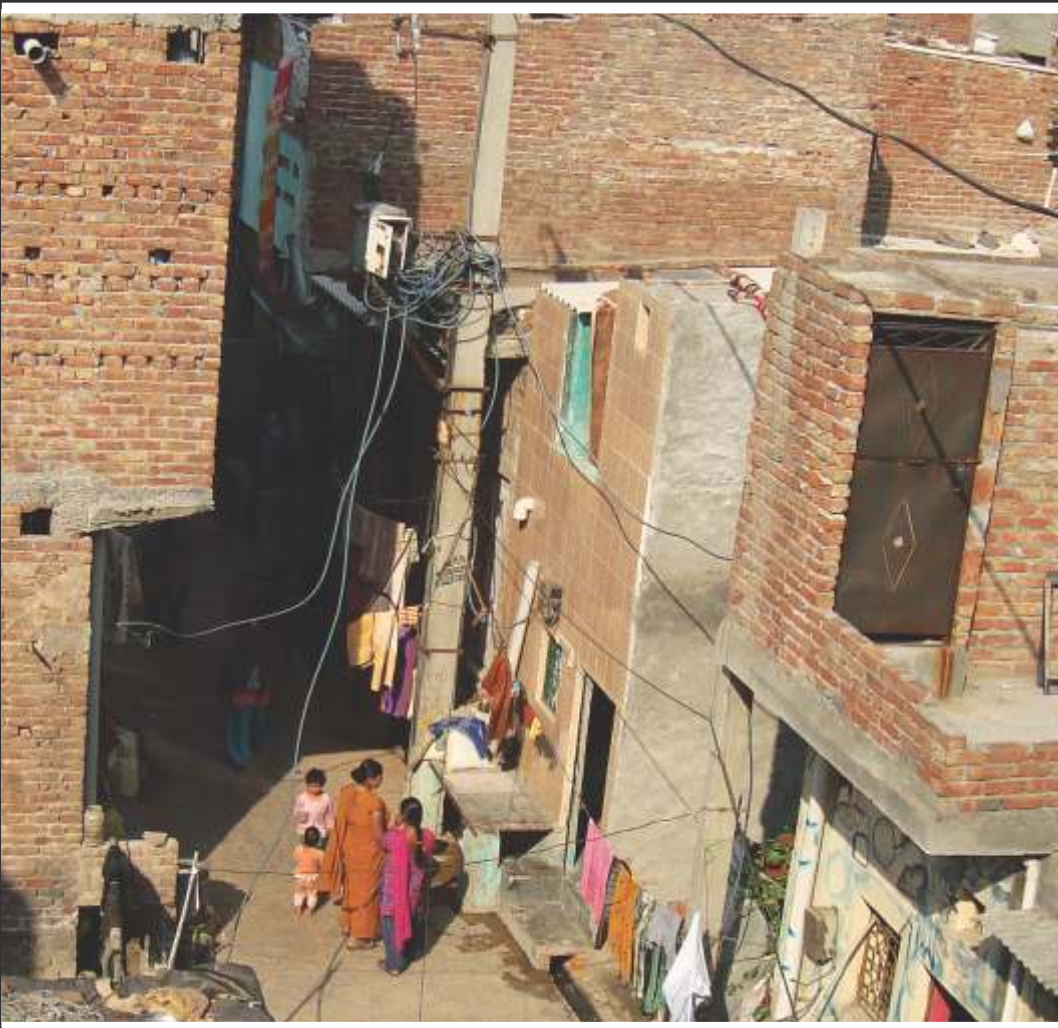

हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क

सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट

सावदा घेवड़ा, नई दिल्ली

पुनर्वास की भयावहता

नई दिल्ली, सितंबर 2014

विषयवस्तु एवं संपादन : शिवानी चौधरी

सहयोग : सुजीत, म्रिधा, दिव्या प्रियदर्शिनी, निधि मिश्रा, ज्योति अवस्थी, नाबामलिका जोरदार

हिंदी अनुवाद, डिजाइन एवं प्रिंटिंग
कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स, दिल्ली-110092

प्रकाशक

हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (एचएलआरएन)
जी-18/1, निजामुद्दीन वेस्ट, लोवर ग्राउंड फ्लोर,
नई दिल्ली-110013
संपर्क: 011-24358492
info@hic-sarp.org/hlrnsouthasia@gmail.com
www.hic-sarp.org

सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट
डब्ल्यूजेड-1374 ए/2, द्वितीय तल, कृष्णा भवन,
नांगल राया, नई दिल्ली-110046
संपर्क: 011-28564198, 28525248, 9311257097

इस रिपोर्ट में दी गयी सूचना साभार के साथ जनहित में इस्तेमाल की जा सकती है।

सावदा घेवड़ा, नई दिल्ली

पुनर्वास की भयावहता

भूमिका

भारत की जनगणना 2011 में दिल्ली के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि देश की राजधानी में बहुत सारे परिवार दोषपूर्ण आवासीय स्थितियों में रह रहे हैं, या बेघर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 1.67 करोड़ आबादी में से 45 लाख लोग अवैध कालोनियों में रहते हैं। उनमें से अधिकांश बस्तियों में मूलभूत सेवाओं और कानूनी सुरक्षा का अभाव है। शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 11 लाख मकानों की कमी और दोषपूर्ण आवासीय स्थितियों का तेजी से विस्तार होने के बावजूद सरकार किफायती आवास उपलब्ध कराने अथवा बस्तियों के विकास में निवेश नहीं करती। इसके बजाय गरीब कामकाजी लोगों के छोटे-मोटे मकानों को तोड़कर और उनकी संपत्ति को नष्ट कर शहर की सीमा पर जाकर रहने के लिए मजबूर करने की साजिश निरंतर जारी है। इससे उनके सामने कामधंधे, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, पानी और संसाधनों को जुटाने की समस्या बढ़ रही है।

जबरन बेदखली और दोषपूर्ण बस्तियों के परिणामस्वरूप शहरी आबादी के मानव अधिकारों के व्यापक उल्लंघन को देखते हुए हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (एचएलआरएन) दिल्ली ने भारत के तीन बड़े शहरी पुनर्वास स्थलों सावदा घेवड़ा, नई दिल्ली; कन्नगी नगर, चेन्नई; और बासीनाका, मुम्बई में मानव अधिकारों की स्थिति के विश्लेषण का निर्णय लिया है। यह रिपोर्ट दिल्ली के सावदा घेवड़ा पुनर्वास स्थल पर कई वर्षों के खोजपूर्ण अध्ययन के निष्कर्षों पर केन्द्रित है।

कार्यविधि

एचएलआरएन ने सावदा घेवड़ा में आवासीय और जीवनयापन की स्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण मानव अधिकारों के मापदंडों के आधार पर किया है, जिसमें आवासीय उपयुक्तता और बुनियादी सेवाओं के प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें बेदखली एवं पुनर्वास की प्रकृति और प्रक्रिया की भी परख की गई है।

इस रिपोर्ट में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार (1991) पर संयुक्त राष्ट्र की सामान्य टिप्पणी-4 के आधार पर सावदा घेवड़ा में आवासीय उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही बेदखली प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए विकास आधारित बेदखली और विस्थापन (2007) पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों एवं दिशा-निर्देशों तथा सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मापदंडों को लागू करने की बाध्यता को आधार बनाया गया है। अध्ययन में दिल्ली सरकार के केन्द्र एवं राज्य के कानूनों के पालन करने और दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 को लागू करने की बाध्यता का भी विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक अनुसंधान विधियों के संयोजन पर आधारित है। इसमें सावदा घेवड़ा में बेदखली प्रक्रिया और जीवनयापन की स्थितियों का पता लगाने के लिए 90 परिवारों का घरेलू सर्वेक्षण, विभिन्न समूहों के बीच श्रृंखलाबद्ध सामूहिक वार्तालाप और स्थल पर उपलब्ध साहित्य की समीक्षा शामिल है। यह घरेलू सर्वेक्षण 2010-11 में किया गया, जबकि सामूहिक वार्तालाप और क्षेत्र भ्रमण 2012-14 के दौरान किये गये। प्रभावित समूहों की जीवनयापन की स्थितियों और इस बीच उसमें कुछ बदलाओं को समझने और विश्लेषण करने के लिए एचएलआरएन ने सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी इंटरग्रेटेड डवलपमेंट (एसपीआईएसडी) के साथ मिलकर कार्य किया और अध्ययन के लिए जीएमआर वारालक्ष्मी फाउंडेशन (जीएमआर) से सलाह ली गयी।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

सावदा घेवड़ा की पहचान 2006 में केन्द्रीय और दक्षिणी दिल्ली के 25 से अधिक स्थानों से बेदखल 20,000 परिवारों के पुनर्वास स्थल के रूप में हुई। यह केन्द्रीय दिल्ली से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर टिकरी बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा) के निकट बाहरी दिल्ली में स्थित है।

1. उत्तरदाताओं की आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि

एचएलआरएन के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सावदा घेवड़ा के निवासी दिल्ली के आवासीय स्थलों में स्थित अपने मूल स्थानों में रह रहे थे, जहां से उन्हें 10-50 साल पहले बेदखल किया गया। उनमें से अधिकांश जमे-जमाये थे और उनके पास पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं थीं। नांगलामाची, हरीश चन्द्र माथुर लेन और खान मार्केट से बेदखल किए गये लोगों ने कहा कि वे हमेशा दिल्ली को अपना शहर समझते थे, उस दिन तक जब कि सरकार ने उनके घरों को तोड़कर गिरा दिया और उन्हें पूरी तरह अज्ञात जगह रहने के लिए भेज दिया। सर्वेक्षण में शामिल स्त्री-पुरुषों की संख्या बराबर थी। सावदा घेवड़ा के जिन परिवारों से साक्षात्कार लिया गया उनके सदस्यों की औसत संख्या 5-6 थी। वहां के निवासियों में अधिकतर हिन्दू हैं। मुसलमान आबादी एक-तिहाई है। साक्षरता औसत 70.3 प्रतिशत, महिला साक्षरता औसत 61 प्रतिशत दर्ज की गई। पुनर्वास कालोनी में रह रहे लगभग 41 प्रतिशत लोग कामकाजी हैं। जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत निजी उपक्रमों में अस्थाई आधार पर काम करते हैं, लगभग 30 प्रतिशत स्वरोजगार कर रहे हैं और अन्य कई लोगों की पुनर्वास स्थल पर अपनी दुकानें और अन्य व्यवसाय हैं। प्रत्येक परिवार की औसत मासिक आमदनी 5275 रुपये दर्ज की गई। सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि नौकरी करने वाले 61 प्रतिशत प्रतिमाह अपने परिवार को चलाने के लिए 3000 हजार रुपये (50 अमरीकी डॉलर) या उससे कम कमा पाते हैं। अर्थात उनके परिवारों को प्रतिदिन 100 रुपये से कम में काम चलाना पड़ता है।

2. बेदखली प्रक्रिया

सावदा घेवड़ा में पुनर्स्थापित परिवारों की बेदखली प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन में संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों और विकास आधारित बेदखली और पुनर्वास 2007 पर दिशा-निर्देश द्वारा निर्धारित मानवाधिकार मापदंडों के आधार पर किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश हैं कि:-

21. राज्य यह सुनिचित करेगा कि बेदखली केवल असाधारण परिस्थिति में होगी। बेदखली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानव अधिकारों की विस्तृत श्रृंखला में, उसके प्रतिकूल प्रभावों को देखते पूरी तरह औचित्यपूर्ण होना चाहिए। कोई बेदखली - ए) कानूनी रूप से अधिकृत, बी) अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकरों कानूनों के अनुसार, सी) पूर्णत: सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, डी) तर्कसंगत और आनुपातिक, ई) पूर्ण और उचित मुआवजा एवं पुनर्वास सुनिश्चित करते हुए और एफ) वर्तमान दिशा निर्देशों का पालन करते हुए होनी चाहिए। इन प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं पर प्रदत्त सुरक्षा सभी कमजोर वर्गों एवं प्रभावित समूहों पर लागू हाती है जो घरेलू कानूनों के तहत घर अैर संपत्ति के मालिक हैं।

22. राज्यों के बेदखली की कार्यवाही पर रोक लगााने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की बाध्यताओं के अनुरूप अपने विधायी और नीतिगत उपाय अपनाने चाहिए। राज्य को घर या जमीन पर कब्जा करने से अधिकतम यथासंभव सीमा तक बचना चाहिए, विशेष रूप से जब यह मानवाधिकारों की सुरक्षा में सहायक न हो।

25. राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जबरन बेदखली की कार्रवाई करने पर सभी व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को तत्काल कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के उपायों पर विचार करना चाहिए, जिसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो औपचारिक रूप में घर और संपत्ति के मालिक नहीं हैं।

28. राज्यों को जबरन बेदखली और इसके दुष्परिणामों से बचने के लिए प्रभावित व्यक्तियों, समूहों और समुदायों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकतम उपलब्ध संसाधनों, उचित रणनीति, नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए।

32. राज्यों को विस्थापन को न्यूनतम करने वाली रणनीति अपनाने पर प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसी किसी भी परियोजना जो विकास आधारित बेदखली और विस्थापन का कारण बन सकती है, को स्वीकृति प्रदान करने से पहले जबरन बेदखली सहित संभावित प्रभावित व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को बेदखली पर सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए व्यापक और समग्र प्रभाव आकलन करना चाहिए। 'बेदखली प्रभाव' आकलन में नुकसान को न्यूनतम करने के लिए वैकल्पिक और रणनीतिक प्रयास शामिल किए जाने चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश बेदखली पर मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्यों की जवाबदेही निश्चित करते हैं।

11. व्यक्ति विशेष द्वारा जबरन बेदखली के कार्यान्वयन, स्वीकार, मांग, प्रस्ताव, आरंभ, क्षमा

एवं सहति प्रदान किए जाने पर राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून की संधियों और सिद्धांतों, जो इन दिशा निर्देशों में परिलक्षित हैं, के तहत मानवाधिकारों की सुरक्षा और मानवीय सिद्धांतों को लागू कराने के दायित्व का निर्वाह करेंगे।

बेदखली से पहले जानकारी, परामर्श, जन सुनवाई और सूचना का अभाव

एचएलआरएन अध्ययन प्रमाणित करता है कि सभी विस्थापन बिना निश्चित प्रक्रिया के हुए हैं। 56 प्रतिशत प्रभावित लोगों ने बताया कि उन्हें उनके मकान तोड़ने से पहले कोई नोटिस नहीं मिला। सर्वेक्षण में शामिल 70 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें सावदा घेवड़ा की स्थिति और अन्य विवरण की ठीक से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। लगभग 93 प्रतिशत प्रभावितों ने कहा कि उनसे पुनर्वास प्रक्रिया या स्थल के बारे में कोई राय नहीं ली गई। सर्वेक्षण में शामिल 99 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि स्थानांतरण से पहले उन्होंने सावदा घेवड़ा नहीं देखा था।

अध्ययन से प्रमाणित होता है कि सरकार ने प्रभावित लोगों को प्रस्तावित बेदखली के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। न तो जिस जमीन पर वे रह रहे थे उसके सार्वजनिक उपयोग की किसी सरकारी योजना की, न पुनर्वास प्रक्रिया की। सर्वेक्षण में शामिल 92 प्रतिशत प्रभावितों ने कहा कि सरकार ने प्रभावित समुदायों से बेदखली या स्थानांतरण या स्थल या प्लाट के आकार या मुआवजे के बारे में वार्ता के लिए सार्वजनिक परामर्श का आोजन नहीं किया। संबंधित अधिकारियों ने जबरन बेदखली किए जाने पर प्रभावितों के जीवन और आजीविका पर पड़ने वाले सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों को जानने के लिए किसी भी स्थल, जहां से उन्हें बेदखल किया गया, का प्रभाव आकलन नहीं किया। सरकार ने अधिकांश निवासियों को बेदखली के कारणों से भी अवगत नहीं कराया।

कई लोगों ने कहा कि स्थल की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण वे स्थानांतरण से डरे हुए थे। सामूहिक वार्तालाप में शामिल लोगों ने स्पष्ट किया कि बेदखली के दौरान उन्हें गंभीर चिंता और अनिश्चिता का सामना करना पड़ा और वे नए स्थल पर जीवन यापन की स्थितियों को लेकर चिंतित थे। कई परिवार को सावदा घेवड़ा गांव के मूल निवासियों के विरोध की आशंका से डरे हुए थे। पर्याप्त जानकारी के अभाव में सर्वाधिक मुश्किलों का सामना सबसे पहले बेदखल नंगलामाची के लोगों को करना पड़ा, जो स्थान, रहने की स्थिति, रोजगार के अवसर और पड़ोस के लोगों के बारे में बिना किसी जानकारी के सावदा घेवड़ा आए थे।

बेदखली के दौरान अनुचित समय पर बेदखली

एचएलआरएन अध्ययन स्पष्ट करता है कि दिल्ली सरकार ने सभी मौसमों – मई की तपती गर्मी, जुलाई की वर्षा और दिसंबर की कड़ाके की ठंड में तोड़फोड़ और जबरन बेदखली की कार्रवाई को अंजाम दिया। स्कूल की परीक्षाओं के समय भी बेदखली की गई। पूर्व सूचना और नोटिस के अभाव में प्रभावित समुदायों की स्थिति और जटिल हो गई थी। तोड़फोड़ और बेदखली के कारण खान मार्केट और हरीश चन्द्र माथुर लेन में रहने वाले बच्चे फरवरी में

फाइनल परीक्षा नहीं दे पाए थे। खान मार्केट में बेदखली महाशिवरात्रि, एक महत्वपूण हिन्दू त्यौहार, के दिन की गई थी। उस दिन कई महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का व्रत था। लोगों ने बताया कि अचानक तोड़फोड़ के सदमे कई लोगों को गहरा आघात पुहंचा था। नंगलामाची में लगातार तीन दिन तक तोड़फोड़ होने से लोगों में अराजकता और निराशा व्याप्त हो गई थी।

घरों, संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति का नुकसान

अध्ययन में शामिल 70 प्रतिशत निवासियों ने बताया कि बेदखली प्रक्रिया के दौरान उन्हें घरेलू सामान समेटने के लिए भी समय नहीं दिया गया। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 50 प्रतिशत लोगों को बेदखली के दौरान फर्नीचर, बिस्तर, कपड़ों, बिजली के सामान सहित घरेलू सामान से हाथ धोना पड़ा। 75 प्रतिशत लोगों के राशन कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज खो गए। लगभग 15 प्रतिशत प्रभावितों ने अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति का नुकसान होने की बात कही। 10 प्रतिशत लोगों को बेदखली के समय बकरी, गाय, मुर्गी आदि जीवन संपदा का नुकसान झेलना पड़ा था। तोड़फोड़ के बाद कई घरों के लोग अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सामान को हासिल करने के लिए पुराने आवास स्थलों पर गए तो उन्होंने पाया कि वे चोरी हो गए थे या पूरी तरह नष्ट हो गए थे।

बेदखली के दौरान चोट

लगभग 8 प्रतिशत लोगों ने बेदखली के दौरान उनके परिवार के सदस्यों को चोट लगने की बात कही। उनमें से कुछ लोगों को हाथ टूटने, सिर पर चोट, रीढ़ की हड्डी टूटने, अंगुलियां टूटने और टांग टूटने जैसी गंभीर चोटें आई थी। घायलों को सरकार की ओर से कोई मुआवजा या चिकित्सा सुविधा नहीं मिली।

बेदखली के बाद

दिल्ली सरकार ने बेदखली के बाद प्रभावितों को कोई तत्काल राहत प्रदान नहीं किया, जबकि अधिकांश बेदखली की कार्रवाई अत्यंत जटिल मौसम में की गई थी। सरकार ने प्रभावित लोगों के नुकसान का आकलन भी नहीं किया और बेदखली के दौरान हुए घरों, संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति और दस्तावेजों के नुकसान पर किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया। प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा और बेदखली एवं स्थानांतरण प्रक्रिया में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों के मानव अधिकारों की क्षति से होने वाली परेशानी से बचने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

सभी परिवारों के पुनर्वास में विफलता

अध्ययन स्पष्ट करता है कि दिल्ली में भारी संख्या में विस्थापित परिवारों को पुनर्वास के 'योग्य

नहीं माना गया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उनमें से कई लोग बेघर होने या बड़े परिवार के सदस्यों सहित भीड़भाड़ की स्थिति में रहने के लिए मजबूर हो गए या मजबूरी में ऋण लेकर किराए के मकान में रहने लगे या दिल्ली छोड़ने को मजबूर हो गए। बेदखली के बाद केवल दिल्ली सरकार के 'योग्यता' मापदंडों को पूरा करने वाले परिवारों को सावदा घेवड़ा में पुनर्वास स्थल पर प्लॉट दिए गए। निवासियों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और दिल्ली सरकार द्वारा निश्चित मापदंडों को पूरा करने के बाद ही प्लाट हासिल करने के 'योग्य' माना गया। उन्होंने आवंटित भूखंड के आवश्यक पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया और सरकार से किसी तरह का आर्थिक सहयोग मिले बिना स्वयं अपना घर बनाया।

जबरन तोड़फोड़ और स्थानांतरण

एचएलआरएन अध्ययन में 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से स्थानांतरण नहीं किया।

स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता का नुकसान

बेदखली के समय चिकित्सा उपचार कर रहे लोगों में से केवल पांच प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें राज्य की ओर से कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं निरंतर मिलती रही जबकि एक-चौथाई लोगों ने का कि बेदखली के परिणास्वरूप उनके परिजनों के चिकित्सा उपचार में बाधा पड़ी। लक्ष्मी नगर और नंगलामाची से आई औरतों ने बेदखली के दौरान गर्भवती महिलाओं की परेशानी के बारे में बताया।

राहत और मुआवजे का अभाव

दिल्ली सरकार ने बेदखली के बाद कोई तात्कालिक राहत नहीं दी। सरकार ने प्रभावित परिवारों को किसी तरह की स्थानांतरण सहायता भी नहीं की। सरकार ने प्रभावित लोगों के नुकसान का आकलन भी नहीं किया और बेदखली प्रक्रिया में घरों, संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति और दस्तावेजों के नुकसान पर किसी मआवजे का भुगतान नहीं किया। पूरी बेदखली प्रक्रिया शहर के गरीब शहरी कामगारों की दरिद्रता बढ़ाने वाली थी, उन्होंने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की और संघर्ष किया जो अब तक जारी है।

3. सावदा घेवड़ा में आवासीय और जीवनयापन की स्थितियां

दिल्ली सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कालोनियों को तोड़-गिराने और सावदा घेवड़ा में पुनर्वास की 'योग्यता' का निर्धारण करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। एचएलआरएन के अध्ययन में उत्तरदाताओं ने कहा कि सर्वेक्षण दोषपूर्ण है। यदि निवासी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और सरकार द्वारा निश्चित मापदंडों को पूरा करने में सफल हो गए तो उन्हें

12.5 वर्ग मीटर और 18 वर्ग मीटर के प्लाट हासिल करने के 'योग्य' माना गया, जो इस बात पर निर्भर था कि उनके राशन कार्ड (सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रियायती राशन प्राप्त करने के लिए) कब बने थे।

अध्ययन में सावदा घेवड़ा में आवास और जीवनयापन की स्थितयों का विश्लेषण आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार (1991) पर संयुक्त राष्ट्र की 'पर्याप्त आवास अधिकार' समिति की सामान्य टिप्पणी-4 में 'पर्याप्त आवास' की व्याख्या के आधार पर किया गया है।

ए : समयबद्ध सुरक्षा

सावदा घेवड़ा में परिवारों को प्लाट दस साल के पट्टे पर दिए गए हैं, उनका प्लाट पर मालिकाना अधिकार नहीं है। प्लाटों पर सरकार का अधिकार है जबकि उन पर मकान लोगों ने स्वयं बनाए। सशर्त दिए गए प्लाट पर वे पट्टे की अवधि तक मकान बनाकर रह सकते हैं। पट्टे की अवधि 2016 में समाप्त हो जाएगी। कई निवासियों को संदेह है कि सरकार पट्टे का नीवीकरण करेगी भी या नहीं। इस कारण भविष्य के आवास को लेकर असुरक्षा और अनिश्चतता बनी हुई है।

दिल्ली सरकार ने प्लाट आवंटित करते समय परिवारों के सामने दो शर्तें रखी थीं:

- लाभार्थी को आवंटन के तीन महीने के अंदर प्लाट पर ईंटों का स्थाई निर्माण करना होगा।

- लाभार्थी दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के अधिकारियों के निरीक्षण के समय घर पर रहते हुए मिलना चाहिए।

सरकार ने निवासियों को चेतावनी दी थी कि उक्त दोनों शर्तों को पूरा न करने पर आबंटन रद्द कर दिया जाएगा और उनसे बलपूर्वक प्लाट खाली करवाया जाएगा। निवासियों से वार्तालाप पर पता चला कि सरकार ने सावदा घेवड़ा में विभिन्न ब्लाकों के कई मकानों को सील कर दिया था और बाद में उन्हें तोड़ दिया गया, क्योंकि डीयूएसआईबी अधिकारियों के समय उनमें परिवार नहीं रह रहे थे या मकान स्थाई निर्माण नहीं थे।

बी : मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच

सावदा घेवड़ा का पुनर्वास स्थल मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण रहने लायक नहीं है। पानी की नियमित आपूर्ति नहीं है और स्वच्छता सुविधाएं दयनीय हैं। पुनर्वास स्थल पर 7 सरकारी स्कूल हैं। शिक्षा सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कुशलतापूर्वक काम नहीं कर रही। लोगों ने शिकायत की है कि नये स्थल पर सभी परिवारों को राशन कार्ड नहीं मिले हैं। इसलिए लोगों को लंबी दूरी तय करके अपने पिछले मूल आवास स्थल से राशन लाना पड़ता हैं। सरकार ने कुछ खास स्थानों के लिए बस सेवा आरभ कर परिवहन सेवा में आंशिक सुधार किया है। लेकिन लोगों ने बताया कि बसें अपर्याप्त हैं और उनके चक्कर का समय निश्चित नहीं है। हाल के वर्षों में सरकार ने बिजली के मीटर लगाए हैं और कुछ स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं। लेकिन लोगों ने अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और

बिजली के बिल बढ़ाचढ़ाकर और गलत आने की बात कही है। स्थल पर केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उसमें खासकर महिलाओं के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं।

हालांकि सावदा घेवड़ा के दिल्ली सरकार के आधिकारिक साइट प्लान (2007) में 11 चिकित्सा केन्द्रों (अस्पताल, डिस्पेंसरी, पोली क्लीनिक और नर्सिंग होम) के लिए स्थान आबंटन की बात कही गई हैं, लेकिन मई 2014 तक केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अस्तित्व में था जबकि एक अन्य 2013 के आखिर से निर्माणाधीन था। सावदा घेवड़ा में महिला स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक भी महिला रोग विशेषज्ञ (गाइनाकोलोजिस्ट) का प्रावधान नहीं है। डिस्पेंसरी में एंबुलेंस सुविधा न होने से लोगों को स्वयं वाहन की व्यवस्थाकर रोगियों को अस्पताल ले जाना पड़ता है। स्थल से निकटतम अस्पताल 15 किमी की दूरी पर स्थित है। सरकारी प्रा.स्वा.के./ डिस्पेंसरी में विशेषज्ञ सुविधा उपलब्ध न होने से गंभीर बीमारियों के उपचार और मातृत्व एवं प्रजनन की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। कुछ परिवारों ने बताया कि उनके परिजनों के कैंसर, मधुमेह या अन्य लंबी बीमारियों से पीड़ित होने के कारण उन्हें प्रति माह 10,000 रुपए चिकित्सा उपचार में व्यय करने पड़ते हैं। पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में सावदा घेवड़ा में कई प्राइवेट क्लीनिक खुल गए हैं। हालांकि समुदाय की कई महिलाओं को मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ कार्यकर्ता (आशा) नियुक्त किया गया है, जो गर्भवती महिलाओं को आवश्यक दवा देने और प्रसव के समय उन्हें अस्पताल पहुंचाने में सहायता करती हैं। लेकिन सावदा घेवड़ा में दो सालों से 'आशा' सक्रिय नहीं हैं।

सावदा घेवड़ा पुनर्वास स्थल के अस्तित्व में आने के आठ साल (2006- 2014) बाद भी पाइप लाइन से जल आपूर्ति की सुविधा नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड प्रतिदिन स्थल पर पानी के टैंकर भेजता है और लोग अपने घरों में इस्तेमाल के लिए कनस्तर आदि में पानी भर लेते हैं। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध पानी सभी कामों के लिए पर्याप्त न होने के कारण निवासी इसका उपयोग केवल पीने और खाना बनाने के लिए करते हैं। कई लोगों ने अपने घरों के आगे हैंड पंप लगाए हैं। वे अन्य लोगों से नहाने धोने और सफाई के लिए पानी लेने पर उसकी कीमत लेते हैं। नवंबर 2013 में पीरामल वाटर प्रा. लि. कंपनी ने स्थल पर लोगों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए 'सर्वजल वाटर एटीएम' लगाये हैं।

सावदा घेवड़ा में दो कूड़ा घर हैं, जिनका प्रबंधन दिल्ली नगर निगम करता है। 2014 के शुरूआत से लगभग प्रतिदिन एमसीडी की कूड़ा गाड़ी गलियों में बनने वाले कूड़े को ले जाने के लिए आ रही है। सभी ब्लाकों में कम से कम एक खुला स्थान बच्चों के खेलने के लिए निर्धारित है। स्थल पर कचरा प्रबन्ध की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में खुले स्थानों में कूड़े के ढ़ेर लगे रहते हैं।

सावदा घेवड़ा की पूरी आबादी के लिए दो राशन/सा.वि.प्र./सस्ते दर दुकानें हैं जहां से कार्ड धारक रियायती दरों पर गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी तेल खरीद सकते हैं। जिनके पास कार्ड नहीं है उन्हें स्थानीय बाजार से महंगे दामों पर अनाज लेने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ परिवारों को राशन कार्ड होने के बावजूद सा.वि.प्र. दुकानों से गैस कनेक्शन देने से

इन्कार कर दिया गया क्योकि उनका मकान कच्चा (स्थाई नहीं) है।

सावदा घेवड़ा पुनर्वास स्थल पर 7 सरकारी स्कूल-4 प्राइमरी, दो सेकेंडरी (10वीं कक्षा तक) और एक सीनियर सेकेंडरी (12 वीं कक्षा तक) है। सावदा घेवड़ा के दिल्ली सरकार के साइट प्लान में पुनर्वास स्थल पर 17 स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि आबंटित किए जाने का उल्लेख है। सावदा घेवड़ा में 18 समेकित बाल विकास केन्द्र, जिन्हें आंगनबाड़ी भी कहा भी कहा जाता है।

सी : आवास योग्यता और पहुंच

मकानों के निर्माण के लिए राज्य से किसी आर्थिक सहायता के अभाव मे निवासियों ने अपने घर स्वयं बनाये हैं। उन्हें निर्माण कार्य अनुभव या मकान का प्रारूप तैयार करने का ज्ञान नहीं था, इसलिए सावदा घेवड़ा में बनाये गये मकान दोषपूर्ण हैं। यानि वे वेंटीलेशन रहित और सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते। कई निवासी बाथरूम बनाना या एक मंजिल का निर्माण करना चाहते हैं या अपने घर की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर है कि 2016 के अन्त में उन्हें स्थल खाली करना पड़ सकता है जबकि अन्य परिवारों ने अपने प्लाट पर उंचाई पर निर्माण जारी रखा है, क्योंकि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में उन्हें बड़ा आधार क्षेत्र उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं हैं। फलस्वरूप संरचना पर दबाव पड़ने के साथ-साथ पानी और सीवेज निकासी के चलते सुरक्षा संकट पैदा हो गया है। प्रावधानों में यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि स्थल विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।

निवासियों ने इन विभिन्न स्थानों पर रहने की इच्छा जाहिर की है, जहां से इन्हें कई सालों तक रहने के बाद बेदखल किया गया, कई परिवारों के आवास में आग लगने से राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र नष्ट होने का दावा किया है। इस दस्तावेजों के अभाव में सावदा घेवड़ा को पुनर्वास के योग्य मानने से इन्कार कर दिया। खान मार्केट से बेदखल परिवारों ने अपने कई दस्तावेज नष्ट होने के बारे में बताते हुए कहा कि अनेक मकानों के पास के नाले की दीवार ढह जाने से उनका सारा सामान बह गया। दोनों स्थानों पर निवासियों को नई तारीख के नये राशन कार्ड दिये गये, इस कारण वे स्थल पर रहने की वास्तविक अवधि प्रमाणित नहीं कर पाए और सावदा घेवड़ा में बड़ा प्लाट प्राप्त करने के अवसरों से वंचित हो गये ।

अध्ययन के दौरान किसी भी व्यक्ति ने प्लाट आवंटन के समय लिंग, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव करने की बात नहीं कही। तथापि स्थल पर विकलांगों को विशेष सुविधाए नहीं दी गई।

डी : सामर्थ्य

आवास के लिए वित्तीय सहायता करने में सरकार की विफलता और अधिकांश परिवारों की आर्थिक विवशता के परिणामस्वरूप सावदा घेवड़ा में छोटे और दोषपूर्ण मकान बने। अधिकांश परिवार केवल एक कमरे का निर्माण का व्यय भार वहन करने में समर्थ थे। इससे उन्हें विशेष

रूप से बड़े परिवारों, महिलाओं और लड़कियों को गोपनीय और प्रर्याप्त स्थान न होने से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं ने बताया कि प्लाट आबंटन पर पंजीकरण शुल्क 7000 हजार रुपये लिया गया और पंजीकरण राशन कार्ड के अनुसार परिवार के मुखिया, के नाम पर किया गया। ग्यारह प्रतिशत निवासियों ने कहा कि उन पर पंजीकरण शुल्क के साथ रिश्वत देने के लिए दबाव डाला गया। परिवारों ने कहा कि प्रत्येक रजिस्ट्री पर औसत 6770 रूपये अतिरिक्त लिए गये। एक परिवार ने तो प्लाट के लिए 25,000 रुपये भुगतान करने का दावा किया है।

हालांकि प्लाट का पंजीकरण शुल्क अधिकांश परिवारों की सामर्थ्य में था। लेकिन नये स्थान पर सरकार द्वारा प्लाट पर स्थाई संरचना और निर्धारित समय सीमा की शर्तों को पूरा करना अत्यन्त कठिन था। सरकार की शर्तों को पूरा करने और आवंटन को बनाये रखने के लिए 75 प्रतिशत निवासियों ने ईटों का स्थाई घर बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों से ऋण लिया। कुछ परिवारों ने पहले बांस का अस्थाई ढांचा बनाया, बाद में उसे ईटों वाला स्थाई घर बनाया, इससे उन्हें निर्माण में अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। लोगों ने बैंकों, साहूकारों, परिचितों और रिश्तेदारों से कर्ज लेने की बात कही। बेदखली के परिणाम स्वरूप एक ओर अधिकतर लागों को अपना सामान, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा का नुकसान झेलना पड़ा तो दूसरी ओर नये स्थाई मकान बनाने के लिए ऊंचे व्याज दरों पर कर्जा लेना पड़ा, इससे उन पर कर्ज का भार बढ़ गया।

82 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्हें पुराने आवास स्थल से सावदा घेवड़ा पुनर्वास स्थल तक सामान सिफ्ट करने में 1000 से 2000 रूपये तक व्यय करने पड़े। जो लोग सड़क परिवहन का भार वहन नहीं कर पाए उन्होंने साइकिल से सामान सिफ्ट किया। कुछ परिवारों ने एचएलआरएन को बताया कि उन्हें स्थानान्तरण प्रक्रिया में 10 हजार रूपये व्यय करने पड़े।

ई : स्थान आजीविका और आय

सावदा घेवड़ा शहर के बाहरी छोर पर मुख्य आवास स्थलों से लगभग 30- 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपर्याप्त परिवहन संविधाओं और बाकी शहर से संपर्क कमजोर होने के कारण सावदा घेवड़ा के अधिकाश निवासियों को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ा और वे उसी क्षेत्र के आस-पास रोजगार तलाशने के लिए मजबूर हो गये। उस क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसरों के चलते अत्यंत चुनौतिपूर्ण साबित हुए। स्थल पर अधिकांश लोग अभी भी बेराजगार हैं। महिलाएं घरेलू कामगार के रूप में कार्य करते हुए अपने परिवारों को चलाने में सहयोग कर रही हैं। इससे महिलाओं पर भार बढ़ा है। पहले तो परिवार की महत्वपूर्ण आमदनी का नुकसान हुआ और दूसरा निवासियों के जीवन स्तर में गिरावट आई। 75 प्रतिशत निवासियों ने कहा कि सावदा घेवड़ा स्थानान्तरण के बाद उनकी आमदनी में गिरावट आई है। यह स्थल अस्पतालों और उच्च शिक्षा संस्थानों से भी काफी दूर है। सर्वेक्षण में लगभग 68 प्रतिशत लोगों ने कहा कि यह स्थल आजीविका चलाने के लिए उचित स्थान नहीं है। सावदा घेवड़ा की मूल संरचना में व्यावसायिक और औद्यौगिक क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

एफ : सांस्कृतिक पर्याप्तता

अधिकांश लोगों ने स्थल पर सांस्कृतिक अपर्याप्तता की जानकारी दी। प्रभावित परिवारों से कोई विमर्श न किए जाने के अभाव में उनकी विशेष सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सका। सामुदायिक भवनों और पूजा स्थलों के लिए क्षेत्र आबंटित नहीं किया गया। पार्कों के लिए के लिए आवंटित क्षेत्रों में उचित कचरा प्रबंधन न होने से कूड़े के ढेर लग गये। विभिन्न बस्तियों से बेदखल परिवारों के पांचवे हिस्से ने बताया कि वे छोटे पारिवारिक समूहों में रहते हैं। बेदखली और स्थानान्तरण की प्रक्रिया के कारण ये सामाजिक संरचनाएं बिखर गई और परिवार अलग-अलग हो गए। समान समुदाय और समान बस्ती के लोगों को सावदा घेवड़ा प्लाटों का आबंटन एक साथ नहीं किया गया। इस आपसी सहयोग और साजिक सुरक्षा प्रणाली नष्ट हुई है और इसका गंभीर प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है। पहले महिलाएं काम पर जाने पर अपने बच्चों को पड़ोसियों के पास छोड़ जाती थीं लेकिन यहां पड़ोसियों के अपरिचित होने के कारण यह संभव नहीं है।

जी : शारीरिक सुरक्षा और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से मुक्ति

एलएलआरएन अध्ययन में शामिल अधिकांश महिलाओं ने कहा कि नए स्थल पर वे सुरक्षित नहीं समझती हैं। ऐसा ही वे अपने बच्चों के बारे में भी सोचती हैं। स्थल में सुरक्षा के अभाव में जवान महिलाएं बाहर काम पर नहीं जातीं क्योंकि स्थल पर काम से अंधरे में लौटने पर डरती हैं। सूचना मिली है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन स्थल पर एक भी पुलिस पोस्ट नहीं है और न ही पुलिस पेट्रोलिंग होती है। एक ही बस्ती के लोगों का स्थानान्तरण एक साथ नहीं हुआ, इस कारण परिवारों के अपने समुदायों से संबंध विच्छेद हो गये हैं। इस कारण कुछ निवासियों के बीच सामाजिक टकराव होता रहता है और उनकी सामाजिक प्रणाली नष्ट हो जाने से महिलाओं पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है।

एच : उपाय और क्षतिपूर्ति

समय पर उपचार का अधिकार एक मानव अधिकार हैं लेकिन सावदा घेवड़ा निवासियों की शिकायतों के निवारण का कोई तंत्र या माध्ययम उपलब्ध नहीं है। उनके पास संबधित सरकारी विभागों या अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए भी सूचना तंत्र नहीं है। किसी भी प्रतिभागी को बेदखली प्रक्रिया में मकान और व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान का सरकार से मुआवजा मिला नहीं मिला और न ही राज्य ने स्थानांतरण पर आर्थिक सहायता की। 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मुआवजे के लिए सरकारी नीतियों की जानकारी न होने की बात कही। स्थानांतरण के बाद प्रभावित परिवारों के उपचार के अधिकार की सुरक्षा नहीं की गई। अधिकांश लोग नहीं जानते कि किस सरकारी विभाग से क्षतिपूर्ति की मांग करें और उसकी प्रक्रिया क्या है।

संस्तुतियां

विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया और सावदा घेवड़ा में प्रभावित लोगों से विस्तार से वार्तालाप पर आधारित अध्ययन में एचएलआरएन ने निम्नलिखित संस्तुतियां प्रस्तुत की है:-

सावदा घेवड़ा के पुनर्वास स्थल की स्थितियों में सुधार के लिए दिल्ली सरकार से संस्तुतियां

निम्नलिखित संस्तुतियां सावदा घेवड़ा में आवासीय एवं जीवनयापन की स्थितियों में सुधार और उसकी प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए अभिप्रेत हैं। इन संस्तुतियों में पुनर्वास स्थल के निवासियों की अपेक्षाएं निहित हैं।

- दिल्ली सरकार को सावदा घेवड़ा में जीवनयापन की स्थिति की स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। सरकारी अधिकारियों को विशेष रूप से पाइप लाइन से जल आपूर्ति, सफाई, बिजली एवं स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और आजीविका विकल्पों सहित मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना चाहिए। पुनर्वास स्थल का विकास संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों के मापदंडों के अनुसार होना चाहिए।
- दिल्ली सरकार का हाल का निर्णय - दिल्ली के 40 लाख शहरी गरीबों को मकान देने का, एक स्वागत योग्य कदम है, यही सुविधा सावदा घेवड़ा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के 10,000 परिवारों को दी जानी चाहिए, जिन्हें केवल दस साल के पट्टे पर प्लाट दिए गए हैं। सभी निवासियों को सशर्त दिए गए पट्टे को स्थाई 'मालिकाना' में बदलकर उन्हें दस्तावेज और कानूनी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। संपत्ति परिवार की वयस्क महिला के नाम की जानी चाहिए।
- सावदा घेवड़ा के आसपास मौजूद स्कूलों में सुधार की आवश्यकता है। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और उपलब्ध कराए जाने वाली शिक्षण सामग्री में भी सुधार होना चाहिए। क्षेत्र के सभी बच्चों के दाखिले के लिए और अधिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता है। सह-शिक्षा विद्यालयों में लड़कियों के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए निवासियों ने अलग बालिका विद्यालय खोले जाने की मांग की है।
- बसों के चक्कर बढ़ाने की आवश्यकता है और रात्रि बस सेवा शुरू करने के साथ ही क्षेत्र को शैक्षणिक/ प्रशासनिक संस्थानों, अस्पतालों और कार्य स्थलों सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ा जाना चाहिए।
- सरकार को पुनर्वास स्थल पर और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने चाहिए और मौजूद प्रा.स्वा.के./ डिस्पेंसरी में डाक्टरों की विजिट (भ्रमण) बढ़ाने और दवाओं की उपलब्धता सहित स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना चाहिए। महिला रोग विशेषज्ञ सहित महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्ति होनी चाहिए। महिलाओं को मूलभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए 'आशा' योजना में सुधार करने और उसे सर्व सुलभ बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में एंबुलेंस वैन का भ्रमण सुनिश्चित करना चाहिए और स्थल को मोबाइल एंबुलेंस दी जानी चाहिए।
- स्थल पर स.बा.वि. केन्द्र की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। वर्तमान में सावदा

घेवड़ा में 18 स.बा.वि. केन्द्र/ आंगनबाड़ी हैं। प्रत्येक केन्द्र पर लगभग 25 बच्चे आते हैं, उनकी क्षमता आवास स्थल के सभी बच्चों को दाखिला दे सकने की नहीं है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के आदेश के अनुसार 800 लोगों की आबादी में एक आंगनबाड़ी होना चाहिए, सावदा घेवड़ा की 50,000 आबादी में लगभग 60-70 आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता है। महिलाओं ने स्थल पर कम से कम 7 और आंगवाड़ी केन्द्रों की मांग की है, इससे उन्हें काम पर जाने पर बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल जाएगा।

- सावदा घेवड़ा के लिए दिल्ली सरकार के साइट प्लान-2007 के प्रावधानों को यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए, जिसमं एक पुलिस थाना सहित तीन पुलिस चौकियों, 11 चिकित्सा केन्द्रों, 17 स्कूलों, 10 सामुदायिक केन्द्रों और 28 पार्कों/ हरित खुले स्थानों का निर्माण किया जाना शामिल है।
- सरकार को महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने के लिए महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति सहित स्थल पर पुलिस पेट्रोलिंग की व्यस्था सुनिश्चि करनी चाहिए। स्थल पर पुलिस वैन नियमित भ्रमण करे और पुलिस स्टेशन और चौकियों का निर्माण यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।
- सरकार को महिलाओं और युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए और क्षेत्र में आजीविका अवसरों में सुधार होना चाहिए।
- सरकार को निवासियों के लिए क्षतिपूर्ति/ उपाचार सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए औ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को समय पर और सही तरीके से हल किया जाए।

आवास और पुनर्वास के संबंध में दिल्ली सरकार को संस्तुति:-

- दिल्ली सरकार को अपनी पुनर्वास नीति अधिक समावेशी बनाने के लिए इसमें संशोधन करने और दिल्ली के सभी निवासियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। कड़े प्रावधान वाले 'योग्यता' मापदंडों को समाप्त करना चाहिए, इसके लागू होने से शहरी गरीबों के बड़े हिस्से को पुनर्वास का लाभ नहीं मिला है। 'अंतिम तारीख' की व्यवस्था भी समाप्त करना चाहिए। दिल्ली की संशोधित पुनर्वास नीति विकास आधारित बेदखली और विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देशों को लागू करने वाली होनी चाहिए।
- वैकल्पिक मकान/भूमि प्रदान करने पर सरकार को निम्नलिखित तथ्यों को सुनिश्चित करना चाहिए (छोटे बच्चों और बुजुर्गों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार के आकार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या और पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करने के लिए परिवार में विकलांग की संख्या।
- सरकार को मानव अधिकार आधारित व्यापक पुनर्वास नीति बनाने से पहले बेदखली पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए।
- सरकार को दिल्ली में शहरी गरीबों के लिए मकानों की कमी (11 लाख मकान) को देखते हुए पर्याप्त सस्ते मकान, जो लोगों के कार्य/आजीविका स्थल के निकट हों, उपलब्ध

कराने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाने चाहिए।

- वस्तियों को शहर की सीमा पर स्थानांतरित करने के बजाय उनके स्थानीय उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। स्थानीय उन्नयन के लिए दृढ़तापूर्वक शौचालय, पानी, सफाई, बिजली, कचरा प्रबंधन और परिवहन व्यवस्था सहित मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना चाहिए। यह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
- सरकार को शहरी बस्तियों के सभी निवासियों को समयबद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, यह सुरक्षा मकान के स्थायी स्वामित्व के रूप में होनी चाहिए, जो समुदाय/परिवार की वयस्क महिला के नाम पर हो। भूमि का सामूहिक स्वामित्व बस्ती की महिलाओं के नाम पर किया जाना चाहिए।
- सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के भूमि और आवास पर आरक्षण के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान–2021 के प्रावधानों को लागू करना चाहिए।
- सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुदामा सिंह एवं अन्य बनाम दिल्ली सरकार और पी.के. कौल एवं अन्य बनाम संपदा अधिकारी एवं अन्य मामलों में दिए गए आदेशों को लागू करना चाहिए। ये फैसले पर्याप्त आवास और पुनर्वास का अधिकार के मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं और सरकार को बेदखली और पुनर्वास में निर्धारित मापदंडों का पालन करने का आदेश देते हैं।

निष्कर्ष

बेदखली प्रक्रिया और सावदा घेवड़ा के पुनर्वास स्थल पर आवास एवं जीवनयापन की स्थितियों पर एचएलआरएन अध्ययन और मानव अधिकारों का विश्लेषण कई गंभीर समस्याओं को उजागर करते हैं। अध्ययन प्रमाणित करता है कि दिल्ली में हजारों परिवारों की जबरन बेदखली और उन्हें सावदा घेवड़ा में स्थानांतरित करने में मानव अधिकारों की अनदेखी और उनका हनन हुआ है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उलंघन किया है। सरकार और उसके प्राधिकरणों ने भारत के संविधान, आवास एवं पुनर्वास से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों एवं नीतियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों का उलंघन किया है। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से उजागर होता है कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्र निर्माण संहिता और दिल्ली के मास्टर प्लान–2021 का भी उलंधन किया है, विशेष रूप से कम लागत के आवासों, पुनर्वास स्थल, आवासों का आकार और समयबद्ध सुरक्षा के मामलों में। संपूर्ण बेदखली प्रक्रिया विकास आधारित बेदखली पर संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों एवं सिद्धांतों का हनन हुआ है। सावदा घेवड़ा में जीवनयापन की स्थितियां व्यापक रूप में दोषपूर्ण हैं और राज्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार पुनर्वास के अपने दायित्वों को निभाने में असफल रहा है। स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप महिलाओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सावदा घेवड़ा महिलाओं और लड़कियों के लिए असुरक्षित है और उनके विरुद्ध हिंसा की कई घटनाओं की जानकारी मिली है। बच्चों पर भी बेदखली और सावदा घेवड़ा में स्थानांतरण खामियों का बुरा प्रभाव पड़ा है। लोगों को उनके

घर तोड़े जाने और जबरन नए स्थान पर स्थानांतरण की खबरों से लोगों को मानसिक आघात पहुंचने के अतिरिक्त कई बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा जबकि कई अन्य को अपने परिवार की आमदनी की पूर्ति के लिए काम करना पड़ रहा है। लड़कियों के विरुद्ध स्कूलों तक में हिसां की घटनाएं होने की खबर है। प्रभावित लोगों के पास अपनी शिकायतें के निवारण और क्षतिपूर्ति का कोई जरिया नहीं है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि दिल्ली सरकार द्वारा बेदखली किए गए परिवारों में से बहुत कम लोगों का सावदा घेवड़ा में पुनर्वास हुआ है।

हाउसिंग एण्ड लैंड राइट नेटवर्क दिल्ली सरकार की अपवर्जनापूर्ण नीतियों और टालमटोल के कृत्यों, जिसके फलस्वरूप दिल्ली के हजारों परिवारों के मानव अधिकारों का व्यापक पैमाने पर उल्लंघन हुआ है, की कड़ी निंदा करता है।

एचएलआरएन उम्मीद करता है कि दिल्ली सरकार अध्ययन की संस्तुतियों के निष्कर्षों पर गंभीरता से विचार करेगी और सावदा घेवड़ा सहित पूरे शहर में पुनर्वास स्थलों एवं शहरी बस्तियों में जीवनयापन की स्थितियों में सुधार करेगी। बेदखली को रोक देनी चाहिए और शहर के बाहरी क्षेत्रों में नए पुनर्वास स्थलों का निर्माण किया जाना चाहिए। शहर के आर्थिक विकास में शहरी गरीबों के योगदान को स्वीकार कर उसे मान्यता प्रदान करना चाहिए।

एचएलआरएन विश्वास करता है कि पुनर्वास प्रभावित लोगों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए स्थल पर या उनके अपने मूल स्थानों पर वापसी होने पर स्वैच्छिक, सहभागितापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पर्याप्त आवास, भूमि, कार्य/आजीविका, भोजन, पानी, लोगों एवं उनके घरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सूचना सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनके सम्मान के साथ जीने के अधिकार की रक्षा हो सके। पुनर्वास पर किसी की व्यक्ति की परिस्थितियां पहले से बदतर नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि पिछले कई दशकों में बेदखल किए गए सभी लोगों का उचित और समय पर पुनर्वास किया जाए, जिसके लिए वह जिम्मेदार है। ●

संलग्नक

सावदा घेवड़ा के लिए साइट प्लान (2007), दिल्ली सरकार

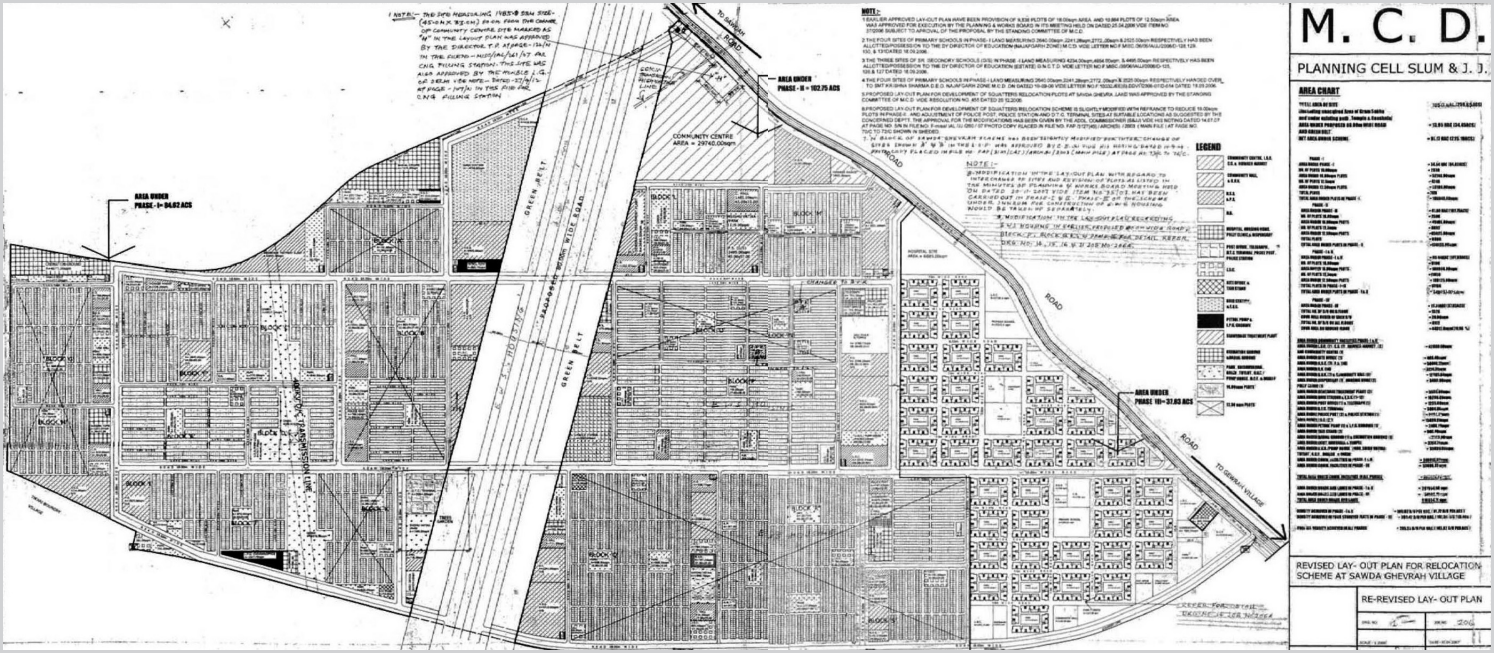

हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (एचएलआरएन) समुचित आवास और भूमि के मानवाधिकारों की मान्यता, रक्षा, संवर्धन और कार्यान्वयन के लिए कार्य करता है, जिसमें सभी व्यक्तियों और समुदायों के लिए शांति एवं सम्मान के साथ जीने के लिए सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करना शामिल है। एचएलआरएन के कार्य विशेष रूप से हासिए पर डाल दिए गए समुदायों के साथ-साथ आवास, भूमि, संपत्ति और विरासत में महिलाओं के बराबरी के अधिकारों के संवर्धन एवं रक्षा पर केन्द्रित हैं। एचएलआरएन का उद्देश्य कानूनी पैरवी, अनुसंधान, मानवाधिकार, शिक्षा और स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क स्थापित कर अपने लक्ष्य को हासिल करना है।

इस रिपोर्ट में सावदा घेवड़ा, दिल्ली के पुनर्वास स्थल में खोजपूर्ण प्राथमिक अनुसंधान से प्राप्त तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। एचएलआरएन ने सावदा घेवड़ा में अध्ययन के लिए सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी इंटीग्रेटेड डेवलवमेंट (एसपीआईडी) सहित अन्य सामुदायिक संगठनों के साथ काम किया है। यह रिपोर्ट तीन शहरी पुनर्वास स्थलों - सावदा घेवड़ा, दिल्ली (रिपोर्ट एक); कन्नगी नगर, चेन्नई (रिपोर्ट दो); और वासीनाका, मुंबई (रिपोर्ट तीन) में मानवाधिकारों के आंकलन का हिस्सा है। एचएलआरएन के अध्ययन में बेदखली प्रक्रिया और सावदा घेवड़ा में स्थानान्तरण के साथ-साथ पुनर्वास स्थल पर आवासीय और जीवनयापन की स्थितियों का विश्लेषण मानवाधिकारों की रूपरेखा के आधार पर किया गया है।

रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को सावदा घेवड़ा में जीवनयापन की स्थितियों में सुधार और आवास, भूमि एवं पुनर्वास से संबंधित कानूनों और नीतियों में मानवाधिकार के मानकों को शामिल करने की संस्तुति की गई है। एचएलआरएन आशा करता है कि सरकार इन संस्तुतियों को लागू करेगी, और कामकाजी गरीबों जिनके साथ निरंतर भेदभावपूर्ण बर्ताव कर उन्हें हासिए पर डालने की साजिश चल रही है, उनके मानवाधिकारों की रक्षा और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क

जी-18/1, निजामुद्दीन वेस्ट, लोअर ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली-110013

Contact: +91-11-2435-8492

info@hic-sarp.org / hlrnsouthasia@gmail.com

www.hic-sarp.org